न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां (तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 70 / 2017

सरकार बनाम मिराज अली, शौकत अली, अदरीश अली पुत्र निजामुद्दीन, जाति– मुसलमान, विासी– बामनवास

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 15.03.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान में से अदरीश एवं मीराज उपस्थित। शौकत अली अनुपास्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान मिराज अली, शौकत अली, अदरीश अली पुत्र निजामुद्दीन, जाति–मुसलमान, निवासी–बामनवास द्वारा रोही मौजा बामनवास की राजकीय भूमि ख.नं. 355 के कुल रकबा 25.75 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.03 है0 भूमि पर टीन शैड व पेड़ लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल शौकल अली वाबजूद सूचना अनुपस्थित। अतः उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। गैर सायलान अदरीश एवं मीराज ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया गया कि वे पूर्वजों के समय से इस भूमि पर काबिज है। अपने दावे के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य / सबूत पेश नही किया जिससे उनका कब्जा विधिक साबित हो। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536 / 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन / नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाव व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 9 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 47 पर वर्ष 2016-17 में रूपये 9 कायम कि।
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़